सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 08/2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 09.10.2017
निर्णय दिनांक – 09.04.2018

1. श्री एहसान उल्ला अंसारी पिता अमान उल्ला अंसारी, निवासी चम्पा कॉलोनी, मुल्लातलाई, उदयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 91–ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 विरुद्ध तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के मु.न. 123/2017 निर्णय दिनांक 17.07.2017

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट मय अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. श्री एन.एस.चुण्डावत – वकील ररेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 09.04.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 91–ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 विरुद्ध तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के मु.न. 123/2017 निर्णय दिनांक 17.07.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम तितरड़ी के आराजी न. 1396 कृषि भूमि में बिना रूपान्तरण करवाये एवं उचित सेट बेक छोडे निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। अप्रार्थी न्यास पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 91ए के तहत अतिक्रमण/अवैध निर्माण को सात दिवस की अवधि में स्वतः हटा लेने अन्यथा बाद मयाद गुजरने के कभी भी ध्वस्त किये जाने का आदेश दिनांक 17.07.2017 पारित

किया गया। उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित रहने से रेस्पों. के अधिवक्ता की एक तरफा बहस दिनांक 26.03.2018 को. सुनी गई तथा वकील अपीलान्ट को निर्णय से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा को लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई।

अपील मेमों के मुख्य तथ्य यह है कि अपीलार्थी एक अशिक्षित व्यक्ति है जिसने अपना भूखण्ड़ एस.बी. कॉलोनी योजनाा प्लान के अन्तर्गत क्रय किया था जो यू.आई.टी. सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है और न ही उक्त भूखण्ड़ के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रकाशित हुई न ही पंचायत द्वारा न ही राज्य सरकार और न ही नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना जारी की गई। अपीलार्थी के भूखण्ड़ के आस पास कई मकान बने हुए है कई व्यक्तियों ने अपने भू–खण्ड़ों के आवासीय रुपान्तकरण हेतु आवेदन नगर विकास प्रन्यास में कर रखा है। अपीलार्थी भी अपने भूखण्ड़ का रुपान्तरण आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु नगर विकास प्रन्यास में कराने हेतु तैयार है जिसके द्वारा नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अपील मेमों में अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार किये जाने एवं तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर का आदेश दिनांक 17.07.2017 को निरस्त किये जाने का कथन किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्रम तितरड़ी के आराजी नं. 1396 कृषि भूमि में बिना रुपान्तरण करवाये, बिना उचित सेट बेक छोड़े निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं पडौस के अनुमोदित प्लान की स्वीकृत लिंक रोड़ पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा न्यास भूमि पर किया गया निर्माण न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91–ए के तहत अवैध होने से ध्वस्त/विध्वंस योग्य होने से अपीलाथी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जाकर तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2017 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहंनता से अध्ययन किया। प्रकरण में रेस्पोडेंट नगर विकास प्रन्यास के प्रस्ताव संख्या 5491–5534 दिनांक 09.08.1994 की धारा 91–ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम तितरड़ी के आराजी नम्बर 1396 कृषि भूमि में बिना

रूपान्तरण करवाये, बिना उचित सेट बेक छोडे निर्माण कार्य किया गया है एवं पडोस के अनुमोदित प्लान की स्वीकृत लिंक रोड़ पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में न्यास के जोन पटवारी ने भी अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण एवं कृषि भूमि में बिना रूपान्तरण करवाये, बिना उचित सेट बेक छोडे निर्माण कार्य किया गया है, की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास का आदेश अन्तर्गत धारा 91–ए दिनांक 17.07.2017 विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिससे हम उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का आदेश अन्तर्गत धारा 91–ए दिनांक 17.07.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर